

R 3845-II-16

32
35

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र० ।



आ-ए-16-12m
9-11-16

9-11-16

478
11-16

Risavya
11-16

1- श्रीमती बिमला देवी पत्नी गंगा प्रसाद द्विवेदी उम्र 56 वर्ष पेशा
घर कार्य निवासी ग्राम पड़रा रोवा तहसील हुजूर जिला रोवा म०प्र०

----- आवेदिका ।

बनाम

1- तीरथ प्रसाद शुक्ला तनय श्री केसव प्रसाद शुक्ला उम्र 76 वर्ष पेशा
खेती निवासी ग्राम दुआरी तहसील हुजूर जिला रोवा म०प्र० ।

2- राजेश शुक्ला तनय तीरथ प्रसाद शुक्ला उम्र 44 साल पेशा खेती
निवासी ग्राम पड़रा तहसील हुजूर जिला रोवा म०प्र० ।

3- म०प्र० शासन द्वारा क्लेक्टर रोवा

----- अनालग्न ।

निगरानी विरुद्ध अन्तरिम आदेश न्यायालय अपर
क्लेक्टर रोवा के अपील प्रकरण 117सो0-129/15
मारित अन्तरिम आदेश दिनांक 31-05-16 .

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भूरा0सो01

34

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R 3845 - D / 16

जि.हा. - रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6/2/19	<p>इस प्रकरण में दिनांक 16/8/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी <u>म.प्र. कलेक्टर जि.हा. रीवा</u> के प्रकरण क्रमांक <u>117/सी.0/-129/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>31-05-16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म.प्र.0 भूराजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>29/04/19</u> को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">— <u>भा.पुन</u></p> <p style="text-align: right;"><u>सदस्य 6/2/19</u></p>	

At